भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल के परिसर में खड़े पेड़ो/ वृक्षों को जड सहित उखाड़ने एवं काटने के लिए खुली सीलबंद बोली (नीलामी) के लिए नियम एवं शर्ते :-

1. संस्थान के परिसर मे खडे पेडो/ वृक्षो 361 (जड सहित उखाडने एवं काटने) की खुली बोली (नीलामी) को खरीदने के इच्छुक बोलीदाता/पार्टी/फर्म संस्थान मे पहुच कर दिनांक 29.07.2024 से 20.08.2024 तक अपनी सीलबंद कोटेशन जमा करा सकते है | सीलबंद कोटेशन मे फर्म/बोलीदाता के द्वारा निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे :-1. फर्म/बोलीदाता का GSTIN एवं PAN कार्ड नम्बर और आधार की प्रति 2. फर्म/बोलीदाता का नाम, पता (पत्राचार हेतु) एवं दूरभाष न. 3. फर्म/बोलीदाता द्वारा निविदा/टेंडर की सभी शर्तों को मानने एवं कार्य पूरा करने हेतु शपथ-पत्र 4. फर्म/बोलीदाता द्वारा रूपये **25000/- बतौर धरोहर राशि** डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कोटेशन के साथ जमा करने होंगे | डिमांड ड्राफ्ट भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल के नाम होना चाहिए | बोली का सीलबंद लिफाफा, केन्द्रीय भंडार कार्यलय में दिनाक: 20.08.2024 तक **साय: 05:00 बजे** तक जमा करा सकते है | जो कि दिनाक: **21.08.2024 दोपहर 11.00 बजे** समिति एवं बोलीदाताओं के समक्ष खोली जाएँगी |

खुली निविदा **"जैसे है जहा है"** के आधार पर होगी व एक ही लोट में होगी, रिकॉर्ड के अनुसार खड़े सूखे पेड़ों/ वृक्षों की **संख्या 361** है| अधिकतम बोलीदाता को नीलामी की 25 प्रतिशत राशि तुरंत जमा करवानी होगी एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत शेष राशि 10 दिन के अंदर जमा करनी होगी | यदि इस समय सीमा के अन्दर धन राशि जमा नहीं कर सके तो जमा राशि तथा नीलामी के लिए जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और इन पेड़ो/ वृक्षों की नीलामी दोबारा की जाएगी तथा बोलीदाता भविष्य में एक साल तक नीलामी के लिए बोली देने का हकदार नही होगा | लगायी गयी अधिकतम बोली राशि पर लागु **GST निर्धारित** दर से अलग से जमा करना होगा | लॉट की सकल मूल्य पर **1% टीसीएस** अतिरिक्त लिया जायेगा, यानि उच्चतम बोली राशि पर वैध टीसीएस + कर | भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार नकद लेनदेन के संबंध में, सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मोड (स्वाइप मशीन/आरटीजीएस/डेबिट कार्ड /नेट बैंकिंग) आदि के द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे | किसी भी प्रकर की राशि नकद स्वीकार नहीं की जाएगी |

|

ध्यान दें: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नेट बैंकिंग में लाभार्थी के रूप में एनडीआरआई बैंक विवरण के साथ पहले से ही जोड़ ले |

उक्त कार्य के लिए सफल बोली का 5% बतौर सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाना होगा, जब तक पूरी राशि जमा नहीं होगी पेड़ों/ वृक्षोंको काटने की अनुमति नहीं दी जायेगी | बकाया राशि जमा करने के पश्चात् ही मॉल उठाने दिया जायेगा | नीलामी का माल 45 दिन के अंदर सफल बोलीदाता को अपने जोखिम और कीमत पर काटकर, लादकर स्वयं के ट्रक/ट्रेक्टर ट्राली आदि से ले जाना होगा तथा गेट पास से ही बाहर जाने दिया जायेगा | सामान्य परिस्थिति में समय सीमा में कोई बढोत्तरी नहीं की जाएगी | हालाँकि परिस्थितिनुसार में सक्षम अधिकारी द्वारा 15 दिन तक समय सीमा बढाई जा सकती है, जिसके लिए 0. 5 % जुर्माना प्रति सप्ताह के हिसाब से देय होगा |

2. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि संस्थान मर जमानत राशि के रूप जमा रहेगी तथा कुल नीलामी/बोली राशि में समायोजित नहीं किया जायेगा |

3. सफल/अधिकतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता की धरोहर राशि को तुरंत लौटा दिया जायेगा |

4. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने के लिए पैन कार्ड, आधारकार्ड एवं जी.एस.टी.(GST) पंजीकृत की प्रति जमा करवानी होगी |

5. बोली जिस व्यक्ति/पार्टी के नाम छोड़ी जाएगी उसी को मॉल ले जाने दिया जायेगा तथा उसी व्यक्ति/पार्टी के नाम गेट पास जारी किया जायेगा, माल ले जाने वाले गेट पास पर हस्ताक्षर भी सफल बोलीदाता के होंगे |

6. सफल बोलीदात को किसी अन्य सम्बन्धित विभागों से यदि कोई अनुमति चाहिये तो उसे अपने खर्च इत्यादि से आवश्यक इजाजत/लाइसेंस अपने खर्चे पर स्वयं लेना होगा इसके लिए संस्थान की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी |

7. सफल बोलीदाता केवल चिन्हित वृक्षों को ही काटेगा, चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त किन्ही अन्य वृक्षों नुकसान करता पाया गया तो यह अनुमति रद्दकर दी जाएगी और आगे वृक्षों को नहीं काटने दिया जाएगा |

8. कटाई के दौरान साथ वाले वृक्षों, बिजली की तारे, भवन, सरकारी सम्पति इत्यादि को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान का देनदार सफल बोलीदाता होगा | नुकसान का मुल्यांकन संस्थान की चयनित समिति द्वारा किया जायेगा |

9. माल को कार्य दिवस के दौरान सुबह 9:00 बजे साय: 5.30 बजे तक ही बाहर ले जाने की अनुमति होगी |

10. नीलाम किये गये पेड़ो/वृक्षों को कम से कम 4 फिट की गहराई से जड़ो सहित निकालना होगा |

11. नीलाम किये गये पेड़ो/वृक्षों की कटाई में लगाये गये श्रमिको का पूर्ण विवरण नाम, पता, कुल संख्या आदि सफल बोलीदाता को लिखित रूप में दनी होगी | कटाई के दौरान श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर इसका जिम्मेदार सफल बोलीदाता का होगा |इस बारे में हर प्रकार के क्लेम, बीमा आदि सफल बोलीदाता को भरने होंगे |

12. इच्छुकव्यक्ति/पार्टी/फर्म नीलाम किये जाने वाले पेड़ो/वृक्षों को संस्थान के फार्म में किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9:00 बजे साय: 5.30 बजे तक देख सकते है, इस सन्दर्भ में सम्बन्धित प्रभारी, संपदा अनुभाग (श्री पी.एम.मीना, मोब.न. 9416950203) एवं फार्म सेक्शन (श्री मुनीष लहरवान, मो.न.7988101582) से भी संपर्क किया जा सकता है |

13. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करनाल जिला न्यायालय में ही होगा |

14. निदेशक महोदय की स्वीकृति के बाद ही नीलामी पूर्ण मानी जाएगी तथा अंतिम निर्णय निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान ,करनाल का सर्वमान्य होगा |

संस्थान के परिसर में खड़े सूखे पेड़ और वृक्षों का विवरण

क्रम . स.	पेड़ / वृक्ष का नाम	वृक्षो की संख्या
1	सफेदा	261
2	अमलतास	1
3	नीम	28
4	शीशम	28
5	आवंला	16
6	अर्जुन	12
7	आम	1
8	डेक	4
9	जामुन	1
10	अमरुद	1
11	पीपल	1
12	बेर	1
13	सिरस	1
14	सागवान	1
15	पोपलर	1
16	बेलपत्र	1
17	सिम्बल	2
	कुल वृक्ष =	361